छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्र.:1175/2002

श्रीमती पद्मा मथरानी, उम्र लगभग 44 वर्ष

पति श्री जयराम मथरानी,

निवासी क्यू. इ. /13, अवंतिका कॉलोनी,

जगदलपुर (छ.ग.) याचिकाकर्ता

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य
   द्वारा सचिव लोक निर्माण विभाग
   डी.के.एस. भवन मंत्रालय रायपुर
2. मुख्य अभियंता
   लोक निर्माण विभाग
   पूर्वी क्षेत्र रायपुर
3. कार्यपालन अभियंता
   लोक निर्माण विभाग
   उत्तर बस्तर जगदलपुर (छ.ग.)
4. अनुविभागीय अधिकारी
   लोक निर्माण विभाग क्र. 3
   जगदलपुर (छ.ग.) उत्तरवादीगण

रिट याचिका अंतर्गत अनुच्छेद 226 / 227 भारत के संविधान, परमादेश/रिट के प्रकृति के संबंध में आदेश/निर्देश के लिए .

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ. ग.)

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

रिट याचिका क्र.1175 /2002

श्रीमती पद्मा मथरानी — याचिकाकर्ता

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य — उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : सुश्री शर्मिला सिंघई,अधिवक्ता उपस्थित

छ. ग. शासन की ओर से : श्री पंकज श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(27 अक्टूबर, 2005 को पारित)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत वर्तमान याचिका उत्तरवादी क्र. 4 द्वारा पारित दिनांक 06.10.2000 (उपाबंध-पी/6) के आदेश को आक्षेपित किया है जिसके अन्तर्गत याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने 'नकल नवीस' के पद पर अपनी सेवाओं को नियमितिकरण करने की भी मांग की है।

2. संक्षेप में स्वीकृत तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को, आरक्षित प्रवर्ग में, 'नकल नवीस' के रिक्त पद पर, दैनिक वेतन आधार पर दिनांक 01.01.1988 को नियुक्त किया गया था । दिनांक 06.06.1988 से याचिकाकर्ता की सेवा की निरंतरता को समाप्त कर दिया गया था । याचिकाकर्ता को 01.02.1989 को उसी पद पर पुनर्नियुक्त किया गया। इसके बाद वह 18.03.1997 तक उक्त पद पर निरंतर कार्यरत रही। याचिकाकर्ता की सेवा इस आधार पर समाप्त कर दी गई कि उसकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं रह गयी थी।

3. उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने धारा 31(3) सहपठित धारा 61 औद्योगिक संबंध अधिनियम के तहत एक आवेदन श्रम न्यायालय जगदलपुर, बस्तर के समक्ष

प्रस्तुत किया। श्रम न्यायालय, जगदलपुर, बस्तर ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अपने अधिनिर्णय दिनांक 20.05.1999 (उपाबंध-पी/1) द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया कि याचिकाकर्ता ने 01.01.1988 से 19.03.1997 तक निरंतर अविछिन्न कार्य किया था, इस प्रकार उसने स्थायी कर्मचारी का प्रास्थिति अभिप्राप्त कर लिया था। याचिकाकर्ता को विभागीय जांच के पश्चात अथवा छंटनी प्रतिकर का संदाय करने के पश्चात, छंटनी के माध्यम से सेवा समाप्त किया सकता था। यह पाया गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में "आई.डी. अधिनियम") की धारा 25-च के अनुक्रम में विधि के आवश्यक प्रावधानों के पालन किए बिना, छंटनी प्रतिकर के संदाय किये बिना याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई थी और विभागीय जांच भी नहीं की गई थी, इस प्रकार 18.03.1997 के सेवा समाप्ति आदेश को न्यायविरुद्ध और अनुचित माना गया था । तदनुसार उत्तरवादी 3 और 4 को, 19.03.1997 से याचिकाकर्ता को नकल नवीस के पद पर पुनर्स्थापन करने और बकाया वेतन का 50% संदाय करने का निर्देश दिया गया था । साथ ही याचिकाकर्ता को 45 दिनों की अवधि के भीतर पुनर्स्थापन करने का भी निर्देश दिया गया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादी क्र. 3 ने श्रम न्यायालय, जगदलपुर, बस्तर द्वारा पारित दिनांक 20.05.1999 के अधिनिर्णय के विरुद्ध औद्योगिक न्यायालय में अपील दाखिल की। औद्योगिक न्यायालय ने दिनांक 08.04.2000 के अपने आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया, जिसमें श्रम न्यायालय, जगदलपुर, बस्तर द्वारा पारित निष्कर्ष और आदेश की अभिपुष्टि की गई। उत्तरवादीगण ने, औद्योगिक न्यायालय के अपील दिनांक 08.04.2000 के उक्त आदेश के विरुद्ध कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की, तदानुसार उक्त आदेश अंतिम हो गया। उत्तरवादी सं. 3 द्वारा दाखिल अपील के खारिज होने के अनुसरण में दिनांक 06.10.2000 पूर्वाह्न को, याचिकाकर्ता को सेवा में पुनः स्थापन कर दिया गया। उत्तरवादी सं. 4 ने दिनांक 06.10.2000 को औद्योगिक विवाद अधिनियम (आइ.डी.अधिनियम) की धारा 25-च के अन्तर्गत छंटनी प्रतिकर का संदाय करने के पश्चात, उसी दिन ही याचिकाकर्ता को छंटनी कर दिया। याचिकाकर्ता ने, उत्तरवादी सं. 4 द्वारा पारित दिनांक 06.10.2000 के छंटनी आदेश को चुनौती देते हुए तथा उत्तरवादीगण के विरुद्ध याचिकाकर्ता की नकल नवीस के पद पर, सेवा को विनियमित करने के लिए रिट/निर्देश की मांग करते हुए यह रिट याचिका प्रस्तुत की है।

5 याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित होकर सुश्री शर्मिला सिंघई, विद्वान अधिवक्ता ने यह सुव्यक्त रूप से साक्ष्यित किया कि जिस दिन याचिकाकर्ता द्वारा पुनः पदग्रहण किया उस दिन ही दिनांक 06.10.2000 को अपराह्न में पारित किया गया आक्षेपित आदेश प्रतिशोधात्मक एवं दुर्भावनापूर्ण है। याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति को, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (ण ण) में यथा परिभाषित छंटनी नहीं माना जा सकता ; क्योंकि यह किसी अन्य कारण से सेवा समाप्ति नहीं है, सिवाय उत्तरवादी 3 और 4 द्वारा प्रतिशोधात्मक रवैये के कारण सेवा समाप्ति के; क्योंकि याचिकाकर्ता ने श्रम न्यायालय के समक्ष न्यायिक प्रक्रिया में सफल हुई थी और उत्तरवादीगण ने श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय के अधिनिर्णयों के परिपालन में याचिकाकर्ता को पुनर्स्थापन किया गया था। यह सुव्यक्त किया गया कि चूंकि सेवा समाप्ति के आदेश को औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत छंटनी नहीं माना जा सकता, इसलिए आदेश को विधिविरुद्ध घोषित किया जाए और उसे अभिखंडित किया जाए।

6. नियमितीकरण के बिंदु पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सुव्यक्त रूप से प्रकट किया कि श्रम न्यायालय ने एम.पी.आई.आर. अधिनियम के तहत प्रकरण क्र.11/97 में दिनांक 20.05.1999 को पारित अपने अधिनिर्णय में स्पष्ट रूप अभिनिर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता 01.01.1988 से 19.03.1997 तक निरंतर अविछिन्न कार्यरत थी और इसलिए याचिकाकर्ता मानक स्थायी आदेश की धारा 2 अनुसार स्थायी कर्मकार की प्रास्थिति अभिप्राप्त करने का हकदार थी । अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जाति के आरक्षित प्रवर्ग की स्पष्ट रिक्ति, के प्रतिकूल, लंबी अवधि तक कार्य की थी, याचिकाकर्ता विनियमित सेवा प्राप्त करने का हकदार थी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. राज्य शासन/उत्तरवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज श्रीवास्तव ने उपस्थित होकर, इसके तत्प्रतिकुल निवेदन किया कि श्रम न्यायालय ने दिनांक 20.05.1999 को एम. पी. आई. आर. अधिनियम के प्रकरण क्र.11/97 में पारित अपने आदेश द्वारा, दिनांक 18.03.1997 के पूर्व के सेवा समाप्ति आदेश को इस आधार पर अभिखंडित कर दिया कि याचिकाकर्ता को आई.डी. अधिनियम की धारा 25-च के अन्तर्गत छंटनी प्रतिकर का संदाय नहीं किया गया था तथा याचिकाकर्ता के विरूद्ध कोई विभागीय जांच नहीं की गई थी। उन्होंने

निवेदन किया कि वर्तमान आदेश दिनांक 06.10.2000 जो छंटनी प्रतिकर के संदाय के बाद पारित किया गया था, वह औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा 2 (ण ण) के तहत छंटनी है। आगे उन्होंने यह भी निवेदन किया कि 'उत्पीड़न या दुर्भावना' के आरोप निराधार है क्योंकि नियोक्ता के पास, छंटनी प्रतिकर के संदाय के साथ किसी भी कारण से जो भी हो, किसी कर्मकार को, छंटनी के माध्यम से सेवा समाप्त करने का अधिकार है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि वर्तमान मामले में, दिनांक 06.10.2000 का आदेश छंटनी था क्योंकि छंटनी मुआवजा का संदाय किया जा चुका था। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि विवाद को श्रम न्यायालय के समक्ष उठाने का एक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध था, उक्त परिप्रेक्ष्य में संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुरूप इस न्यायालय के पास अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, सीधे वर्तमान याचिका पर विचार करने का कोई अधिकारिता नहीं है ; तद अनुसार उपरोक्त रिट याचिका का ख़ारिज किए जाने की प्रार्थना की गई।

8. उभय पक्षों के द्वारा परस्पर प्रतिरोधपूर्ण दावों पर विचार करने और प्रकरण के अभिलेखों का परिशीलन करने के बाद, यह पाया जाता है कि श्रम न्यायालय ने अपने अधिनिर्णय दिनांक 20.05.1999 में स्पष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किया था कि याचिकाकर्ता ने 01.01.1988 से 19.03.1997 तक निरंतर कार्य किया था। यह साक्ष्यित है कि विभागीय जांच किए बिना और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-च के प्रावधान के तहत छंटनी प्रतिकर का संदाय किए बिना, दिनांक 18.03.1997 का पहला सेवा समाप्ति आदेश पारित किया गया थ। आगे यह सुव्यक्त रूप से साक्ष्यित है कि जब याचिकाकर्ता को श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/05/99 और औद्योगिक न्यायालय ने अपील में दिनांक 08/04/2000 के अपने आदेश द्वारा अभिपुष्टि की गई थी, याचिकाकर्ता की सेवा 06/10/2000 दोपहर को छंटनी की आड़ में तत्काल सेवा समाप्त कर दी गई थी, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों से ऐसा परिलक्षित होता है याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति हेतु उत्तरवादी क्र. 3 और 4 ने दिनांक 06/10/2000 को पुनर्स्थापन के कुछ घंटे के भीतर, दोपहर में, तैयार रखे गए बैंकर्स चेक द्वारा छंटनी प्रतिकर के भुगतान के साथ, सेवा समाप्ति का आदेश दिया जाकर असम्यक उतावलापन किया है । याचिकाकर्ता की सेवा को पुनर्स्थापन करने के तुरंत बाद, उत्तरवादी क्र. 3 और 4 ने याचिकाकर्ता की सेवा उसी दिन समाप्त करके विधान के उद्देश्य और आशय को विफल करने की कोशिश की हैं।

9. राज्य शासन- उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता की आपत्ति यह है कि वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए इस न्यायालय के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता को औद्योगिक विवाद होने के कारण पहले श्रम न्यायालय में आवेदन करना चाहिए था, न कि सीधे इस न्यायालय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दाखिल करनी चाहिए थी।

10. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वैकल्पिक वैधानिक उपचारों के बावजूद संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार करने में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होता है। यह भी स्थापित सिद्धांत है कि वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता द्वारा रिट क्षेत्राधिकार के अपवर्जन का नियम विवेक का नियम है न कि बाध्यता का । इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निम्न प्रकरणों में प्रतिपादित किए गए सिद्धांत का अवलंबन किया जा सकता है :-
व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन विरुद्ध रजिस्ट्रार ट्रेड मार्क्स, मुंबई और अन्य (1998-8-एससीसी-1); हरबंसलाल साहनिया एवं अन्य विरुद्ध इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य (2003-2-एससीसी–107); टी.के. रणकराजन विरुद्ध तमिलनाडु सरकार और अन्य,(एआईआर - 2003-एससी-3032); यू.पी. राज्य ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य विरुद्ध यू.पी. राज्य सेतु निगम एस कर्मचारी संघ (2005-एआईआर-एससीडब्लू-3149)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. सर्वोच्च न्यायालय ने जैकब एम. पुथुपरम्बिल और अन्य विरुद्ध केरल जल प्राधिकरण और अन्य (1991-1- एससीसी -28) के मामले में अवलोकन करते हुए पैरा 15 में यह उल्लेख किया है:-

> " ऐसे लोगों को हटाना अनुचित और अयुक्तियुक्त है जो कुछ समय से सेवा दे रहे हैं क्योंकि इस तरह के निष्कासन के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कर्मचारी का परिवार जो उसको मिलने वाले पारिश्रमिक पर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा था व बस गया था और अगर अचानक कर्मचारी की नौकरी छीन ली जाती है तो आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा, स्थापन की सेवा में समर्पित शुरुआती जीवन की मूल्यवान समय, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और पदधारी को अन्यत्र नौकरी पाने के लिए आयु सीमा की वजह से वंचित किया जा सकता है। उसका इस्तेमाल करना, उसमें उम्मीद और सुरक्षा की भावना पैदा करना, उसके परिवार को उसकी कमाई के भीतर रहने के लिए तैयार करना और फिर अचानक उसे नौकरी से निकाल देना वास्तव में

अनुचित है। ऐसा आचरण नौकरी की सुरक्षा की अवधारणा का अपमान होगा और संवैधानिक दर्शन, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 41 में काम करने के अधिकार की अवधारणा के विपरीत होगा।"

12. वर्तमान मामले में, यह सही है कि इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया विवाद औद्योगिक विवाद की प्रकृति का है और सामान्य परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में इस न्यायालय में आने से पहले श्रम न्यायालय के समक्ष अपनी शिकायत के निवारण की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था। मुकदमेबाजी के प्रथम चरण में, श्रम न्यायालय ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति और याचिकाकर्ता की सेवा की निरंतरता के संबंध में पहले ही एक निष्कर्ष अभिलिखित किया जा चुका था, जिसकी औद्योगिक न्यायालय ने अपील में अभिपुष्टि की थी। उक्त निष्कर्ष, इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए अंतिम रूप ले चुका था कि उत्तरवादीगण ने श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने कोई याचिका दाखिल नहीं की थी। वर्तमान मामले में, उत्तरवादी 3 और 4 ने श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.1999 को पारित आदेश और औद्योगिक न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2000 को पारित आदेश के अनुपालन में पुनर्स्थापन किया गया था, उसी दिन दोपहर को याचिकाकर्ता को श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को, परिवंचना और विफल करने का प्रयास करने, आक्षेपित आदेश' जारी किया था। इस प्रकार, असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है और इन तथ्यों और परिस्थितियों के तहत क्या याचिकाकर्ता को सेवा समाप्ति के आदेश के विरुद्ध उपचार प्राप्ति के लिए श्रम न्यायालय जाया जाए या इस न्यायालय को अपने असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए मामले का निपटारा करना चाहिए। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरा मानना है कि इस न्यायालय को, याचिकाकर्ता को पहले वैकल्पिक उपचार का लाभ उठाने का निर्देश दिए बिना भारत के संविधान के अनुच्छेद 226, 227 के तहत याचिका पर विचार करके ऐसी परिस्थितियों से निपटने का असाधारण अधिकारता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. नियमितीकरण के प्रश्न पर, याचिकाकर्ता नियमितीकरण का मामला नहीं उठा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता सेवा में नहीं है। सेवा में शामिल होने के बाद याचिकाकर्ता विधि अनुसार उपयुक्त मंच के समक्ष नियमितीकरण का मामला उठा सकता है।

14. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 06.10.2000 आक्षेपित आदेश अभिखंडित किये जाने योग्य है। तदनुसार, दिनांक 06.10.2000 का आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया जाता है और याचिका को ऊपर बताई गई सीमा तक इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता को 06.10.2000 से तत्काल सेवा में पुनर्स्थापन किया जाए, जिसमें बकाया वेतन का 50% सहित सभी परिणामी लाभ दिए जाएं। याचिकाकर्ता को श्रम न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 20.05.1999 में 50% पिछला वेतन प्रदान किया गया था। तदनुसार, वर्तमान मामले में भी 50% बकाया वेतन दी जा रही है।

वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है ।

हस्ताक्षर /-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Tapan Kumar Saha, Advocate